

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/635

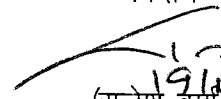
दिनांक : 19.01.2026

अधिसूचना

सां.आ.149/2026 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24-क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित नियम 24-क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3913/12.09.2014 (सां. आं 94/2014) को अधिक्रमित करते हुए सभी नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के समस्त वार्डों को ऐसे वार्डों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां रिक्त पद के स्थान को भरने हेतु भविष्य में होने वाले आम/उप चुनाव में मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये और अभिलिखित किये जायेंगे, जब तक आयोग द्वारा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्देश प्रसारित नहीं किए जाएं।

भवदीय


(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,

दिनांक :- 19.01.2026

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/636-640

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव